न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/22/2019 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 19.12.2019

उनवान

1. शंकर पुत्र डालु जाति जाट आयु व्यस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शंकरी पत्नि डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला पुत्री भूरा लाल जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. केसर पुत्री भूरा लाल जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गहरी लाल पुत्र मगना जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चान्दी बाई पत्नि भूरा लाल जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. रतन लाल पुत्र भूरा लाल जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. शंकर पुत्र रामा जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्यामुदेवी पत्नि देवकिशन जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. देवी लाल पुत्र कालुराम जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. नर्बदा बाई पत्नि कालुराम जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. नारायण लाल पुत्र कालुराम जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. राधा पुत्री मोहन जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. सुन्दर बाई पुत्री जीतु जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. सुरेश चन्द्र पुत्र गेहरी लाल जाट आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना   —प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी   —अप्रार्थी सं0 3, 5, 6, 13
शेष एकतरफा

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) :—

निर्णय दिनांकः 14.06.2022

—:निर्णयः—

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1110, 1277, 1283, 2375, 66, 907, 908, 909, 982, 983, 984, 990, 991 कुल किता 13 कुल रकबा 7.54 है0 स्थित है। जो प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे [illegible] आराजीयात है। जिस पर जाने का रास्ता है किन्तु प्रतिवादीगण अप्रार्थी [illegible] को हांक दिया और अपनी आराजी में मिला दिया। यह कि अप्रार्थी की आराजी नम्बर 1118 में [illegible] प्रार्थी की आराजी नम्बर 1110 पर जाता है जो 1.04 है0 स्थित है उसके समीप [illegible] की ओर भी आराजी स्थित है जिस पर जाने का एकमात्र रास्ता है अन्य विकल्प नही है। अप्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:34:09 IST
Reason: Self Attested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी नम्बर 1282 से होकर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 1283 व 1277 पर जाता है जिस पर जाने का एक मात्र रास्ता है, जो प्रार्थी को आने जाने के लिए दिलाया जावें। एक मात्र रास्ता है विकल्प में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की आराजी नम्बर 906 से होकर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 907, 908, 909 पर जाता है विकल्प में कोई रास्ता नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बन्द कर देने से प्रार्थीगण काश्त नहीं कर सकता है खेत खाली पड़े रहते है। प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण की आराजीयात में से होकर ही रास्ता उपलब्ध हैं। विकल्प में अन्य कोई रास्ता न होने अप्रार्थीगण की आराजीयात में से होकर ही अपनी आराजीयात में प्रवेश किया जा सकता है इससे वर्षो से उपयोग उपभोग कर रहे रास्ते को बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज कराया जाना व नक्षे में तरमीम किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र कारण 26/11/2019 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि रास्ते को बिलानाम रास्ते में दर्ज करवा दो तथा अन्य रास्ते की जो भी कीमत हो वह देने को तैयार हूँ तथा यदि उक्त भूमि के बदले अन्य भूमि चाहते है तो वह भी अपनी भूमि से देने को तैयार हूँ। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इंकार किये जाने से निरन्तर प्रार्थनापत्र कारण पैदा हो रहा है।

अन्त मे निवेदन किया कि मौजा धमाना की आराजी नम्बर 1110 पर जाने के लिए 1118 मे से तथा प्रार्थी की आराजी नम्बर 1283 व 1277 पर जाने के लिए अप्रार्थी की आराजी नम्बर 1282 तथा प्रार्थी की आराजी नम्बर 907, 908, 909 पर जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 906 में रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करें तथा बिलानाम दर्ज कर नक्षे में तरमीम किया जावें तथा अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1118, 1282, 906 में से 14 फीट का रास्ता दिलाया जावें तथा उक्त रास्ते का नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। व प्रार्थना पत्र तीन अलग अलग आराजीयात पर रास्ते दिलाने हेतु एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर दिनांक 23.02.2021 को वकील अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6, 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम नम्बर 2 प्रार्थी की आराजी नम्बर 1110 पर आवागमन हेतु रास्ता आराजी नम्बर 1118 में से होकर बताया गया है मगर पूर्ण विवरण नहीं दिया है जबकि आराजी नम्बर 1110 पर आवागमन हेतु रास्ता आम रास्ता से उत्तर दिशा में आराजी नम्बर 1301–1300–1108–1109 की पश्चिमी पाली पर होकर चालू है व नक्षा ट्रेस में भी दर्ज है और प्रार्थीगण इस रास्ते का ही उपयोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र की कॉलम नम्बर 3 प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1283–1277 पर आवागमन हेतु रास्ता आराजी नम्बर 1282 में नहीं है बल्कि पूर्वी तरफ गिलुण्ड रोड़ पर स्थित पेट्रोल पम्प के सामने सोहन लाल, शंकर लाल तिवाडी की जमीन के उत्तर में व लक्ष्मण जी गौड़ की जमीन के बीच में होकर रास्ता है जिसका प्रार्थीगण उपयोग कर रहे है। इसके अलावा आम रास्ता से आराजी नम्बर 1201 की पश्चिमी पाली पर होकर रास्ता दिया जाना ज्यादा सुलभ है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 907–908–909 पर आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थी की आराजी नम्बर 906 में होकर नहीं है बल्कि आम रास्ता नम्बर 924 से सीधे आराजी नम्बर 910 में से होकर है तथा आराजी नम्बर 910 पडत होकर प्रार्थीगण के ही कब्जे में है और उक्त आराजी नम्बर 910 से [illegible] की आराजी नम्बर 908–909 लगी हुई है और उक्त रास्ता सुविधाजनक होकर प्रार्थीगण इसका उपयोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण ने तीन विभिन्न आराजीयात पर तीन विभिन्न खातेदारों की आराजीयात में से होकर पृथक पृथक रास्ते चाहे है और किस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:34:09 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी की कौन सी नम्बर आराजीयात में रास्ता चाहता है उसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व कुसंयोजन के आधार पर चलने योग्य नहीं है प्रार्थीगण ने कॉलम नम्बर 2, 3, 4 में जो रास्ते बताये है वह अस्तित्व में नहीं है और उनका उपयोग भी नही कर रहे है व उनके रास्ते हमने जवाब की कॉलम नम्बर 2, 3, 4 में बताये है जिनका उपयोग प्रार्थीगण करते आ रहे है मगर व्यर्थ में विपक्षीगण को परेशान करने व जमीन अनुपयोगी करने की नियत से यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण की आराजीयात में नया रास्ता कायम कर जमीन को अनुपयोग करने के दुराशय से पेश किया है जो कुसंयोजन के दोष से ग्रसित है व स्पष्ट कथन किये है तथा पूर्व में ही प्रार्थीगण को उनकी आराजीयात पर आवागमन हेतु रास्ते जवाब की कालम नम्बर 2, 3, 4 में बताये अनुसार उपलब्ध है जिनका उपयोग वह कर रहे है अतः प्रार्थनापत्र मय खर्चा निरस्त फरमाया जावें।

3. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 21.03.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में कमिश्नर तहसीलदार कपासन से बिन्दुवार मौका रिपोर्ट रिपोर्ट मंगवाई गई।
4. प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
5. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

   1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

      प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आ0न0 1283 एवं 1110 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आ0नं0 907, 908, 909 के लिए पहुॅच मार्ग है।

   2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

      तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रस्तावित रास्ते में न्यूनतम भूमि को दृष्टिगत रखकर ही रास्ता प्रस्तावित किया है।

   3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

      नहीं।

   4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

      उभयपक्ष में सहमति नहीं बनी।

   5. सहमति नहीं होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:34:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 1282 में से लम्बाई 116 मी0 × चौडाई 5 मी0 = 580 वर्ग मीटर है।

प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 1118 में से लम्बाई 150 मी0 × चौडाई 5 मी0 = 750 वर्ग मीटर है। जिसकी डीएलसी दर 669816 × 0.133 = 89085 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 178171/— रूपये बनते है।

साथ ही तहसीलदार कपासन द्वारा निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट की है—

1. आ0नं0 907, 908, 909 में पहुंचने के लिये प्रार्थी ने जिस आराजी नं0 906 में से रास्ता चाहा गया है जो कि उपर्युक्त प्रतीत नहीं होता है जो कि प्रार्थी की भूमि पर लगती हुई आराजी नम्बर 910 जो बिलानाम दर्ज है। उसमें से होकर खेत में जा रहा है। साथ ही उक्त आराजी नम्बर 910 से रेकार्डेड रास्ता भी लग रहा है।
2. आ0 नं0 1282 जो अप्रार्थीगण के नाम से है उसमें से प्रस्तावित भूमि रास्ते हेतु लम्बाई 116 मी0 × चौडाई 5 मी0 = 580 वर्ग मीटर है।
3. आ0 नं0 1118 जो अप्रार्थीगण के नाम से है उसमें से प्रस्तावित भूमि रास्ते हेतु लम्बाई 150 मी0 × चौडाई 5 मी0 = 750 वर्ग मीटर है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1110, 1277, 1283, 2375, 66, 907, 908, 909, 982, 983, 984, 990, 991 कुल किता 13 कुल रकबा 7.54 है0 स्थित है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1110 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1118, प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1283 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1282, प्रार्थीगण की आराजी संख्या 907, 908, 909 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 906 रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है न्यूनतम दूरी वाला रास्ता तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तावित आराजी सख्या 907, 908, 909 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना दर्शाया है। व आराजी संख्या 1283 एवं 1110 पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः आ0 सं0 1283 व आ0 नं0 1110 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में आराजी संख्या 1118 किस्म चाही 4 व आराजी संख्या 1282 किस्म बारानी 2 दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क :— अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1—'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप—खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप—खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या नर्दिष्ट लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:34:09 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1110 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 1118 है। जिसका रकबा 150 × 5 = 750 वर्ग मीटर है व आराजी न0 1283 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 1282 है। जिसका रकबा 116 × 5 = 580 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 17.03.2021 का राजस्व नक्शा ट्रेस संलग्न है का रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 1330 वर्गमीटर की डीएलसी दर 669816 × 0.133 = 89085 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 178171/– रूपये अक्षरे एक लाख अठहत्तर हजार एक सौ इकहत्तर रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 13 को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:34:09 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन